दावा की किस्म

पक्षकारान उपस्थित/अन /वकील/प्रार्थी/अप्रार्थी
उप०/अनु०/पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई।
पक्षकारान में समझाईश की गई। राजीनामा
नहीं हुआ। अतः पत्रावली संबंधित न्यायालय
को वापस लौटाई जावे। 12-3-[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

31.8.18 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान
उपस्थित / [illegible] महोदय
[illegible] हैं।
पत्रावली [illegible]
5.9.18 को पेश हो।

पेश

5.9.18 पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी अनुपस्थित। बार-बार कई कई बार आवाज लगवाई परन्तु वादी या वकील वादी उपस्थित न्यायालय नहीं होते है बाद वादी अहक हाजरी अहक पैरवी वादी खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार योग्य है कल के तयशुदा बाद तकमील कार्यवाही जाबता दाखिलदफ्तर हो। निर्णय आज दि० 5.9.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]